राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–5)विभाग

क्रमांकः प. 23(60)गृह–5/2012

जयपुर, दिनांकः– 6.01.2019

परिपत्र

विषयः– आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान पत्रावलियों के स्थानान्तरण व अनुसंधान अधिकारी बदलने के संबंध में नीति।

आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान निष्पक्ष एवं त्वरित गति से किया जाना आवश्यक है। विगत वर्षों में आपराधिक प्रकरणों के अनुसंधान बार–बार स्थानान्तरित होने के मामले सामने आये हैं। अनुसंधान स्थानान्तरण से विभिन्न अनुसंधान अधिकारियों के द्वारा अलग–अलग निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है क्योंकि अधिकतर अनुसंधान चश्मदीद गवाहान के कथनों पर निर्भर करते हैं और पुनः कथन लेखबद्ध करने पर उनमें काफी भिन्नताऐं उत्पन्न हो जाती हैं। अनुसंधान स्थानान्तरण से अनुसंधान अधिकारियों पर कार्य का दबाव भी बढ़ता है तथा निस्तारण में भी विलम्ब होता है जिससे पीड़ित को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। साथ ही, न्यायालय में विचारण के दौरान पूर्व अनुसंधान अधिकारियों द्वारा दिये गये निष्कर्षों में भिन्नता का फायदा बचाव पक्ष को मिलता है। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त द्वारा अनुसंधान स्थानान्तरित करने का आवेदन बार–बार देने से अनुसंधान प्रकिया में बाधा डालने व विलम्ब करने की चेष्टा भी की जाती है।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान/अनुसंधान अधिकारी बदले जाने के संबंध में नीति समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03.08.2012, 27.02.2015 एवं 15.10.2018 व पत्र दिनांक 10.01.2013 की पालना कठोरता से नही की जा रही है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी (किमिनल) विविध याचिका संख्या 3020/2018 सुरेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं एस.बी. (किमिनल) विविध याचिका संख्या 2702/2018 रघुनाथ दास बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 04.10.2018 के द्वारा उक्त नीति को पुनर्वालोकन किया गया। उक्त परिपत्रों को अधिक्रमण करते हुए, आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान के स्थानान्तरण व अनुसंधान अधिकारी परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में निम्न नीति निर्धारित की जाती है :–

1. **अनुसंधान के स्थानान्तरण हेतु आवेदन–पत्र पेश किये जाने की पात्रता :–**

परिवादी/अभियुक्त एवं उनके परिवारजन द्वारा अनुसंधान परिवर्तन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर ही विचार किया जा सकेगा।

अनुसंधान एवं अनुसंधान अधिकारी स्थानान्तरण हेतु सक्षम अधिकारी :–

(1) जिला स्तर– सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त।
(2) रेंज स्तर– सम्बन्धित महानिरीक्षक पुलिस रेंज/पुलिस आयुक्त।
(3) राज्य स्तर– महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।

3. **अनुसंधान एवं अनुसंधान अधिकारी परिवर्तित किये जाने की प्रक्रिया :–**

(A) सभी सक्षम अधिकारियों के लिये :–

(i) सामान्यतः परिवादी/अभियुक्त एवं इनके परिवारजनों के प्रार्थना–पत्र पर अनुसंधान अधिकारी परिवर्तित नही किये जायेगें। सर्वप्रथम सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यथासम्भव सम्बन्धित पुलिस थाना अथवा सम्बन्धित अन्वेषण अधिकारी द्वारा ही निष्पक्ष एवं सही तरीके से अनुसंधान किया जावे।

(ii) केवल अपवादित परिस्थितियों में ही इस प्रकार के प्रार्थना–पत्रों पर विचार किया जायेगा।

(iii) अनुसंधान अधिकारी को परिवर्तित करने से पूर्व, यदि आवश्यक हो तो, दूसरे पक्षकार को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

(iv) अनुसंधान परिवर्तित किये जाने हेतु समुचित कारण/आधार अंकित किये जाने के उपरांत ही अनुसंधान अधिकारी के परिवर्तन का निर्णय लिया जायेगा।

(v) यदि स्थानान्तरित प्रकरण का कास (Cross) प्रकरण हो, तो उसका अनुसंधान भी साथ ही नये अनुसंधानकर्ता को सुपुर्द किया जायेगा।

(vi) नवीन अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान पूर्ण करने की अपेक्षित समय सीमा का भी उल्लेख किया जायेगा।

(B) अनुसंधान अधिकारी परिवर्तित किये जाने के लिये सक्षम अधिकारी के लिये प्रकिया :–

(1) जिला स्तरः– जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त

(i) अनुसंधान के स्थानान्तरण हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्र पर प्रथमतः संबंधित अनुसंधान अधिकारी से विचार–विमर्श किया जायेगा।

(ii) यथासंभव अनुसंधान संबंधित पुलिस थाने के अन्य पुलिस अधिकारी को सुपुर्द किया जायेगा। सामान्यतः अनुसंधान का स्थानान्तरण संबंधित सर्किल में किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में कारण अंकित करते हुए जिले में सर्किल से बाहर अनुसंधान का स्थानान्तरण कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में प्रकरण का पर्यवेक्षण (Supervision) तथा निस्तारण जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त द्वारा किया जायेगा।

(iii)अनुसंधान स्थानान्तरण सामान्यतः समकक्ष अथवा उच्च स्तर के अधिकारी को किया जायेगा। विशेष परिस्थितियॉं अंकित करते हुए कनिष्ठ अधिकारी से भी अनुसंधान करा सकेंगे।

(iv)सामान्यतः पुलिस जिले में पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त को प्रकरण अनुसंधान हेतु स्थानान्तरित नही किये जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में पत्रावली पर कारण अंकित करते हुये ऐसे आदेश दिये जा सकेंगे।

(v)किसी भी परिस्थिति में जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त द्वारा एक बार से अधिक अनुसंधान अधिकारी का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

(2) रेंज स्तर :– महानिरीक्षक पुलिस/पुलिस आयुक्त

(i) अनुसंधान स्थानान्तरण हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्र पर प्रथमतः पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त से टिप्पणी प्राप्त करेंगे।

(ii)सामान्यतः अनुसंधान का स्थानान्तरण संबंधित पुलिस जिले में ही करेंगे। विशेष कारणों को उल्लेखित करते हुये संबंधित रेंज के अन्य जिलों/पुलिस आयुक्तालय के अन्य पुलिस जिले में स्थानान्तरित कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में प्रकरण का पर्यवेक्षण (Supervision) तथा निस्तारण महानिरीक्षक रेंज/पुलिस आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

(iii)अनुसंधान स्थानान्तरण सामान्यतः समकक्ष अथवा उच्च स्तर के अधिकारी को किया जायेगा। विशेष परिस्थितियॉं अंकित करते हुए कनिष्ठ अधिकारी से भी अनुसंधान करा सकेंगे।

(iv)सामान्यतः रेंज मुख्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त को प्रकरण अनुसंधान हेतु स्थानान्तरित नही किये जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में पत्रावली पर कारण अंकित करते हुये, ऐसे आदेश दिये जा सकेंगे।

(v) किसी भी परिस्थिति में महानिरीक्षक रेंज/पुलिस आयुक्त द्वारा एक बार से अधिक अनुसंधान अधिकारी का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

(3) राज्य स्तरः– महानिदेशक पुलिस

(i)महानिदेशक पुलिस, राजस्थान संबंधित अति. महानिदेशक से विचार–विमर्श के उपरांत प्रकरण के स्थानान्तरण के संबंध में निर्णय लेंगे। आवश्यकतानुसार महानिदेशक पुलिस अति. महानिदेशक, पुलिस, सीआईडी (सीबी)/अति. महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स/अति. महानिदेशक पुलिस, एस.ओ.जी. को प्रकरण के स्थानान्तरण बाबत अधिकृत कर सकेंगे।

(ii)किसी प्रकरण में अनुसंधान सीआईडी (सीबी)/सिविल राईट्स/एस.ओ.जी. द्वारा किये जाने के उपरांत अनुसंधान जिले/रेंज में पुनः अनुसंधान नहीं कराया जा सकेगा।

4. एक प्रकरण में किसी भी परिस्थिति मे सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुसंधान अधिकारी का परिवर्तन कुल मिलाकर तीन बार से अधिक नही किया जा सकेगा। उक्त तीन अनुसंधान अधिकारियों की गणना मे प्रथम अनुसंधान अधिकारी की भी गणना की जायेगी। इस प्रकार प्रथम अनुसंधान अधिकारी के अलावा दो बार अनुसंधान अधिकारी परिवर्तित किये जा सकेंगे। किसी अन्वेषण अधिकारी के स्थानान्तरण, सेवानिवृत्ति अथवा लम्बे अवकाश पर होने की वजह या अन्य कारण से अनुसंधान अधिकारी का पद रिक्त होने पर यदि अन्वेषण पत्रावली अन्य अनुसंधान अधिकारी को स्थानान्तरित की जाती है, तो यह उक्त गणना में नही की जायेगी।

5. अपरिहार्य कारणों से यदि अनुसंधान का परिवर्तन पूर्व मे किये गये तीन बार के बावजूद पुनः करना आवश्यक प्रतीत हो, तो इस बाबत् महानिदेशक पुलिस ठोस कारण सहित राज्य सरकार को टिप्पणी प्रेषित करेंगे जिस पर राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय होगा।

6. सक्षम अधिकारी द्वारा अनुसंधान परिवर्तन उक्त नीति के अन्तर्गत किया जावेगा। यदि इस नीति का उल्लंघन सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो वह व्यक्तिशः उत्तरदायी होगा।

7. राज्य सरकार के स्तर पर ऐसे प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने की स्थिति में अथवा स्वःप्रेरणा से किसी प्रकरण को निष्पक्ष एवं जनहित मे अनुसंधान परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा। निर्णय से पूर्व महानिदेशक पुलिस से टिप्पणी प्राप्त की जावेगी।

आज्ञा से,

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,गृह

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया आपके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को उक्त नीति की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाने का कष्ट करें।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विभाग/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह (आपदा प्रबन्धन)/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह (विधि) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त परिपत्र गृह विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव, गृह